CNR-No-UPFD-040-405000-2022

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-4975/22

दिनांक-17-11-2022

आज अभियुक्त रामचन्द्र के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं० 350/2016 अं० धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना उत्तर जिला-फिरोजाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप मे कथन किया गया है कि अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, अन्य कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध प्रस्तुत नही किया गया है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आधार जमानत पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 20 हजार रूपये के व्यक्तिगत बंन्धपत्र के साथ इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद